राज्य विरूद्ध – सूरेश कुमार खुंटे
आपराधिक प्रकरण क्रमांक –944/2025

Witness No..........03................for...........अभियोजन साक्ष्य ....Deposition taken the...........03-07-2026.....day of......शुक्रवार......Witness's apparent Age.........40........... Years Sates on affirmation My name is.........................दामोदर जायसवाल .... s/o- ....श्री राजाराम जायसवाल....... Occupation.............प्रधान आरक्षक क्र 27................ Address--..........थाना मालखरौदा जिला सक्ती छ०ग० ....

....

साक्षी को आज दिनांक 03-07-2026 को शपथ दिलाकर समय 11.00 बजे परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

मुख्य परीक्षण द्वारा एडीपीओ ।

01- मै वर्ष 2022 से वर्तमान तक थाना मालखरौदा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं। मेरी पदस्थापना के दौरान दिनांक 08-09-2025 को पेट्रोलिंग के दौरान मुखबीर सूचना मिली कि ग्राम जमगहन निवासी आरोपी सूरेश कुमार खूंटे अपने घर के आंगन में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु छिपाकर रखा है, की उक्त सूचना पर मेरे द्वारा थाने में पदस्थ आरक्षक क्र. 117 महेन्द्र सिंह कंवर एवं क्र. 291 पुष्पेन्द्र पटेल के समक्ष मुखबीर सूचना पंचनामा **प्र०पी० 08** दर्ज किया था जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा गवाह बट्टूलाल खूंटे तथा संजय खुंटे को अपने साथ कार्यवाही में शामिल होने हेतु BNSS की धारा 179 का नोटिस **प्र०पी०-01** दिया गया था जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

02- मेरे द्वारा उक्त दोनों गवाहों तथा हमराह स्टाफ को साथ लेकर ग्राम जमगहन स्थित आरोपी के घर के आंगन मे रेड कार्यवाही की गई जिसमें आरोपी के कब्जे से 02 नग सफेद रंग के 15-15 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक डिब्बा में भरा 03-03 लीटर एवं 02 नग पीले रंग के 05-05 लीटर वाले प्लास्टिक जरीकेन में भरा 02-02 लीटर तथा 02 लीटर वाले प्लास्टिक के स्प्राईट बोतल में भरा 02 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल 12 लीटर पाए जाने पर वैध कागजात

प्रस्तुत करने हेतु धारा 94 BNSS का नोटिस **प्र०पी०–09** दिया गया, जिसके अ से अ भाग पर मेरे एवं ब से ब भागों पर आरोपी के हस्ताक्षर है।

03– आरोपी द्वारा उक्त नोटिस के जवाब में किसी प्रकार का कोई कागजात प्रस्तुत ना करने पर जप्ती पत्रक **प्र०पी०–02** के अनुसार उन्ही गवाहो के समक्ष आरोपी से 02 नग सफेद रंग के 15–15 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक डिब्बा में भरा 03–03 लीटर एवं 02 नग पीले रंग के 05–05 लीटर वाले प्लास्टिक जरीकेन में भरा 02–02 लीटर तथा 02 लीटर वाले प्लास्टिक के स्प्राईट बोतल में भरा 02 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल 12 लीटर कीमती 1,200/– रूपये विधिवत रूप से जप्त किया गया जिसके स से स भाग पर मेरे तथा द से द भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है।

04– मेरे द्वारा आरोपी के गिरफ्तारी उन्ही गवाहों के समक्ष गिरफ्तारी पत्रक **प्र०पी०–03** के अनुसार की गई जिसके स से स भाग पर मेरे तथा द से द भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा साक्षी बट्टूलाल खूंटे के बताये अनुसार नजरी नक्शा **प्र०पी०–04** मौके पर तैयार किया गया जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा मौके पर देहाती नाल्सी **प्र०पी०–10** दर्ज किया गया था जिसके क्रमशः अ से अ एवं ब से ब भागों पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा थाना वापस आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 202/25 धारा–34–2 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्र०पी०–11** अभिलिखित किया गया, जिसके क्रमशः अ से अ एवं ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा आरोपी से जप्तशुदा मादक द्रव्य को मुलाहिजा हेतु आबकारी वृत्त सक्ती के उप निरीक्षक को संबोधित पत्र **प्र०पी०–12** सहित भेजा गया जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा तहसीलदार मालखरौदा को घटना स्थल का नजरी नक्शा हल्का पटवारी से प्रदाय करने बाबत आवेदन दिया था जो **प्र०पी०–13** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

राज्य विरूद्ध – सूरेश कुमार खुंटे
आपराधिक प्रकरण क्रमांक –944/2025

05– मेरे द्वारा घटना स्थल पर जाने एवं वहां से आने के संबंध में रवानगी वापसी सान्हा की सत्यापित प्रति **प्र०पी०–14** (02 प्रतियों में) प्रकरण में संलग्न की गई है, जिसके क्रमशः अ से अ भागों पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा आरोपी से जप्तशुदा शराब को थाने के माल खाने में सुरक्षार्थ सुपुर्द किया गया जप्ती माल रजिस्टर मे की गई प्रविष्टि के संबंध मे जप्त माल रजिस्टर की सत्यप्रतिलिपी **प्र०पी० 15** प्रकरण मे संलग्न की गई है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

06– मेरे द्वारा उक्त सीडी (वीडियो तथा फोटोग्राफ) का कम्प्युटर हैश (#) मान निकाल कर हैश मान प्रमाण पत्र एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4)(ग) के अंतर्गत विशेषज्ञ रिपोर्ट **प्र०पी०–16** दिया गया है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा प्रकरण मे जप्ती की विडियोग्राफी तैयार कर सीडी तैयार की थी जो आटिकल **ए–1** प्रकरण मे संलग्न की गई है। मेरे द्वारा आरोपी से जप्तशुदा सामग्री की वीडियोग्राफी तैयार किया गया जिसकी जप्ती कार्यवाही की सूचना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 185 के परिपालन में मेरे द्वारा माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मालखरौदा को सूचना प्रेषित की गई थी जो **प्र०पी०–17** दिया गया जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

07– मेरे द्वारा आरोपी सूरेश कुमार खूंटे को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में गिरफ्तारी के कारणों सूचना **प्र.पी. 18** के अनुसार दी गयी जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे आरोपी सूरेश कुमार खूंटे के गिरफ्तारी के संबंध में सूचना **प्र.पी. 19** उसके पारिवारिक भाई योगेश कुमार खुटें को दी गयी जिसके अ से अ भाग पर मेरे तथा ब से ब भाग पर योगेश खूंटे के हस्ताक्षर है।

08– मेरे द्वारा प्रकरण से संबंधित गवाहो का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया । विधिवत अन्वेषण पूर्ण उपरान्त माननीय न्यायालय के समक्ष न्याय हेतु प्रस्तुत किया गया ।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री टी.आर. मनहर अधिवक्ता वास्ते आरोपी //

09– यह कहना सही है कि मुझे जिस मोबाईल से मुखबीर सूचना मिला था उस मोबाईल के नंबर का उल्लेख नही किया हूं । यह कहना सही है कि मैं आज मूल रोजनामचा सान्हा लेकर उपस्थित नहीं हुआ हूं । यह कहना गलत है कि मैने गवाहों को उपस्थिति के लिये नोटिस नहीं दिया था । यह कहना गलत है कि मैं ग्राम जमगहन गया ही नहीं था । यह कहना गलत है कि आरोपी से किसी प्रकार का जप्ती कार्यवाही ग्राम जमगहन मे नही किया गया था । यह कहना गलत है कि प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही थाना में बैठकर किया था ।

10– यह कहना सही है कि मैं घटना स्थल के संबंध में राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया हूं । यह कहना गलत है कि आरोपी को विधिवत गिरफ्तार नहीं किये है । यह कहना गलत है कि साक्षीयों का कथन उनके बताये अनुसार दर्ज नहीं किया हूं । यह कहना सही है कि आबकारी वृत्त सक्ती से जप्तशुदा द्रव के परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किये बिना ही मेरे द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया है । यह कहना गलत है कि आरोपी के विरूद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया था । यह कहना गलत है कि नजरी नक्शा मैंनें बिना घटनास्थल जाए तैयार किया था। यह कहना गलत है कि देहाती नालसी मैंनें अपने मन से तैयार किया था ।

परीक्षण समाप्त 11.20 बजे

साक्षी को साक्ष्य पढकर सुनाया गया सही पाया गया।

मेरे निर्देश्न पर टंकित ।

साक्षी के हस्ताक्षर-------

सही/–
(कु.साक्षी ध्रुव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मालखरौदा (छ.ग.)

सही/–
(कु.साक्षी ध्रुव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मालखरौदा(छ.ग.)